कार्यालय कलेक्टर बैतूल
शाखा का नाम
29 JUN 2015
अधी अपर वाले कलेक्टर

10 रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर
जिला ग्वालियर (म. प्र.)

रा. रिवी. क्र /2015

1-संगीता जौजे विट्ठलराव उम्र 42 वर्ष जाति कुंबी, निवासी ग्राम आरूल तह. एवं जिला बैतूल म. प्र.
2-नितिश कुमार ना. बा. वल्द विट्ठलराव वली आजी भागा बाई बेवा सुखनंदन कुंबी नि. ग्राम आरूल तह. जिला बैतूल
3-नितेश कुमार ना. बा. वल्द विट्ठलराव वली आजी भागा बाई बेवा सुखनंदन कुंबी नि. ग्राम आरूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
4- भागाबाई बेवा सुखनंदन जाति कुंबी नि. ग्राम आरूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
5- इटठोल वल्द सुखनंदन कुंबी निवासी ग्राम आरूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
6-मीरा बाई जौजे साहेबलाल नारे जातिकुंबी निवासी अम्बेडकर पार्क के पीछे, आमला तह. आमला जिला बैतूल म. प्र.
7- जमनोत्री जौजे मुन्ना जाति कुंबी साकिन आमला तह. आमला जिला बैतूल म. प्र.

--याचिकाकर्तागण

बनाम

1- शांताबाई जौजे नत्थू गाडगे जाति कुंबी साकिन आरूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
2- हीराबाई जौजे ज्ञानपाल उम्र 55 वर्ष जाति कुंबी निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
3- गंगोत्री जौजे रामरतन जाति कुंबी साकिन महावीर वार्ड टिकारी तह. जिला बैतूल म. प्र.

--गैरयाचिकाकर्ता गण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता 1959

याचिकाकर्तागण विनय करते है कि :-

श्रीमान यह पुनरीक्षण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल तह. जिला बैतूल के राजस्व अपील प्रकरण क्र- 120/अ/6/2013-14 पक्षकार शांताबाई एवं अन्य बनाम संगीता एवंअन्य अपील अंतर्गत धारा 44 म. प्र. भू रा.

शाखा का
29 JUN 2015

संहिता 1959 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 जिसमें याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक आपत्ति निरस्त की गई है, उससे दुखी होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

R 3083 PBR/15 केस ट
संगीता नारि x आनंदबाई नारि

28.12.2015

आयुक्त

आवेदकगण की ओर से श्री एम०के० पंडागरे अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.5.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की जाकर प्रकरण अवार्ध विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत किया गया है। उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष

विठ्ठलराव
28/12/15